

- यू0 हैल्थ स्मार्ट कार्ड धारकों हेतु अंशदान कटौती का लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत विकल्पधारी कार्ड बनने के पूर्व अपने आहरण वितरण अधिकारी से चालान को प्रतिहस्ताक्षरित कर स्वयं ही अंशदान की राशि जमा करा सकता है।

### **Deduction Head**

—“0210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – 04  
– लोक स्वास्थ्य – 501 – सेवायें तथा  
सेवाफीस-01-उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड हेतु  
अंशदान” में जमा किया जाना है।